<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)</u>

T.S-18/2018

घोलट शर्मा

बनाम

मुसाफिर शर्मा एवं अन्य

11.08.2022 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है।

उभय पक्षो की सुनवाई के पश्चात अभिलेख ओदश हेतु प्रस्तुत किया गया।

वादी की ओर से दिनांक–05.05.2022 को आदेश–VI नियम–17 सहपठित आदेश–1 नियम–10 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल कर निवदेन किया गया की प्रतिवादी सं0–3 रूदल शर्मा पुत्र रामू शर्मा का नाम वाद–पत्र में टंकित हो गया है।

प्रतिवादी सं0–3 रूदल शर्मा अपने गॉव एवं क्षेत्र मे रूद्र नारायण शर्मा के नाम से जाने जाते है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वाद–पत्र में रूदल शर्मा के नाम के साथ रूद्र नारायण शर्मा को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के आवेदन पर कोई आपत्ति नही की गई।

उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। वादी के द्वारा दिनांक–05.05.2022 को दाखिल आवेदन पर प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। वाद–पत्र में संशोधन साधारण एवं औपचारिक प्रकृति का है।

अतः वादी के आवेदन दिनांक–05.05.2022 को न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार वाद–पत्र में प्रतिस्थापन की कार्यवाही करे।

वाद दिनांक–31.08.2022 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश